छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, रायपुर

(23)

अधिसूचना

क्रमांक– एफ 1–21/2000/वित्त/सी/चार रायपुर, दिनांक 2 दिसंबर, 2000

नैसर्गिक आपदाओं एवं परिस्थितियों में आर्थिक अभावग्रस्त लोगों को सहायता देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा मुख्य मंत्री सहायता कोष नियम, 2000 बनाती है :–

(1) यह नियम का संक्षिप्त नाम – "मुख्य मंत्री सहायता कोष नियम, 2000" कहलाएगा ।

(2) इस कोष की निधि में समस्त वे राशियां जमा की जाएंगी जो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से इस कोष के लिए दान के रूप में प्राप्त हों ।

(3) इस कोष से सहायता, छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री द्वारा अपने विवेक अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उनसे पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दी जा सकेगी । सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे या कलेक्टर के माध्यम से या उनकी सेवा में रत संस्थाओं को या अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाएगी । गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं/अथवा साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत हो, इस कोष से सहायता दी जा सकेगी ।

(4) मुख्य मंत्री किसी भी प्रकरण में अधिकतम रू. 1,00,000 (रू.एक लाख) की सहायता स्वीकृत कर सकेंगे । इससे अधिक राशि की सहायता के लिए न्यासी मण्डल का अनुमोदन आवश्यक होगा, परन्तु तत्काल सहायता आवश्यक होने की दशा में छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री रूपये 1,00,000.00 (रूपये एक लाख) से अधिक की राशि न्यासी मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कर सकेंगे । ऐसे समस्त प्रकरण न्यासी मण्डल के समक्ष उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(5) दुर्घटना अथवा नैसर्गिक आपदा, अन्य ऐसे प्रकरण में, जिसमें तत्काल सहायता स्वीकृत करना अपरिहार्य हो, प्रति व्यक्ति रू. 10,000.00 (रूपये दस हजार) तक की सीमा के अधीन छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री सहायता राशि स्वीकृत करने के अधिकारी न्यासी मण्डल के सचिव अर्थात् सदस्य सचिव को छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री प्रत्यायोजित कर सकेंगे । इस प्रकार स्वीकृत की गई राशि का पूर्ण विवरण सचिव द्वारा प्रतिमाह छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री के अनुसमर्थन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता सीधे संबंधित व्यक्तियों को अथवा शासकीय, अर्द्धशासकीय या निजी संस्थाओं/अभिकरणों के माध्यम से दी जा सकेगी ।

(7) यह सहायता दान के रूप में अथवा अग्रिम के रूप में दी जा सकेगी । अग्रिम के रूप में दी गई सहायता पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । किन्तु उसकी वसूली का उत्तरदायित्व उसी संस्था या अभिकरण का होगा जिसके माध्यम से अग्रिम का भुगतान किया गया है ।

(8) कोष में यदि कोई सहायता वस्तुओं के रूप में प्राप्त होती है तो उसका वितरण छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यक्तियों के बीच किया जाएगा ।

(9) कोष का लेखा और अन्य अभिलेख का संधारण, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार किया जाएगा । कोष के हिसाब–किताब की लेखा परीक्षा, प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा–संपरीक्षक द्वारा की जाएगी । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न्यासी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(10) ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त सहायता कोष का कार्य करेंगे, राज्य शासन के परामर्श से, मानदेय दिया जा सकेगा ।

(11) इस कोष के प्रशासन के लिए एक न्यासी मण्डल होगा जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा :–

1.	मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
3.	मंत्री, राजस्व एवं वन विभाग	सदस्य
4.	मंत्री, वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग	सदस्य
5.	समाज कल्याण मंत्री	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
7.	मुख्य मंत्री के सचिव	सदस्य सचिव

न्यासी मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जिसमें कोष का लेखा प्रस्तुत किया जाएगा ।

(12) न्यासी मण्डल के सदस्य सचिव होने के नाते, उक्त कोष के खाते को संचालित करेंगे तथा हिसाब-किताब सही रखने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(13) इस कोष में जमा राशियां शासन की संचित निधि का भाग न होने के कारण उनके लेखा-जोखा, उपयोग, विनियोजन आदि पर "लोक-लेखा" के लिए निर्धारित निर्देश लागू नहीं होंगे ।

(14) न्यासी मण्डल इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार.

(एस.पी. त्रिवेदी)
अतिरिक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग,
रायपुर.